Order sheet [Contd]

case No.B.A.-382/17

Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessayry

14-11-17 11:55 A.M. to 12:05 P.M. आवेदक / अभियुक्त तुलसी बाथम द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

आवेदक / अभियुक्त राजेश आदिवासी द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मौ के अपराध कमांक 235 / 17 अंतर्गत धारा—457 एवं 380 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त तुलसी बाथम की ओर से आवेदक तुलसी की मां श्रीमती गुड्डी एवं आवेदक / अभियुक्त राकेश आदिवासी की ओर से आवेदक राजेश आदिवासी के पिता कंचन सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदनों एवं शपथपत्रों में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का है। इस आवेदन के अतिरिक्त इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी प्रकट है।

उल्लेखनीय है कि तुलसी बाथम एवं राजेश आदिवासी की ओर से प्रथक—प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। पंरतु दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

दोनों जमानत आवेदनों पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है पुलिस थाना मो द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक को गिरफ्तार किया गया है। आवेदक करीब दो माह से न्यायिक अभिरक्षा में होकर उपजेल गोहद में बंदी है। आवेदक बीमार हो गया है और उसकी हालत गंभीर है। उसका इलाज होना अति आवश्यक है। आवेदक के जेल में अधिक समय तक रहने की दशा में उसकी बीमारी के कारण उसकी हालत इलाज के अभाव में और अधिक खराब हो सकती है। आवेदक के परिवार में आवेदक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया गया है। अन्य सह अभियुक्तगण से आवेदक का अपराध भिन्न नहीं है। आवेदक / अभियुक्त तुलसी बाथम की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे झूठा फंसाया गया हैं, वह भी दो माह से उप जेल गोहद में बंदी है। आवेदक

20 वर्षीय नवयुवक है और यदि वह अधिक समय तक जेल में रहा तो उसके आगामी जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उक्त अपराध अजीवन करावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से दोनों जमानत आवेदनों का घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पश्ट है कि दिनांक 10.09.17 एवं 11.09.17 की मध्य रात्रि में फरियादी गुड्डू खां उर्फ अकील खां के घर स्थित वार्ड क्रमांक 13 द्वारिकापुरी मौ भिण्ड का ताला तोड़ा जाकर उसके घर में से चार बिछिया चांदी की, दो तोड़ियां चांदी की एवं दो अंगूठी चांदी की कीमती लगभग 10 हजार रूपए चोरी हो गए। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना मौ में की गई।

दौराने अनुसंधान आवेदक / अभियुक्त तुलसी के आधिपत्य से दो अंगूठी चांदी की, सोनू से दो तोड़ियां चादी की तथा राजेश से चार बिछिया चांदी की जप्त की गई हैं।

राजेश की ओर से यह आधार लिया गया है कि सहअभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया गया है, परंतु वह यह बताने में असमर्थ हैं कि किस सहअभियुक्त का किस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किया गया है। ऐसी किसी आदेश की प्रति भी संलग्न नहीं है।

आवेदकगण दिनांक 17.09.17 से अर्थात लगभग दो माह से निरोध में हैं। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 10 हजार रूपए है। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लगने वाले समय से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति तथा उसके स्वरूप को देखते हुए आवेदकगण को जमानत का लाभ न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दोनों आवेदकगण राजेश एवं तुलसी जमानत आवेदन स्वीकार किए गए।

अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्तगण तुलसी बाथम एवं राजेश आदिवासी की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 20,000—20,000/—रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किए जावे तो उन्हें निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:—

- 1. आवेदकगण विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेंगे।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देंगे।
- 3. फरार नहीं होंगे।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	4. विचारण में सहयोग करेंगे। 5. विचारण के दौरान अभियुक्तगण समान अपराध कारित नहीं करेंगे। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।	
Tall.	आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे। केसडायरी वापस हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।	
STINE.	(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	S)
	ARIE BUILTING	
	ALLEN ALEGA ALEGA ALLEN	
	(21)	